


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/12/17	परवारी हलकात की रिपोर्ट दर्ज कर अतिक्रमी को रात 12 रातसक अधिन 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी कर पत्रांक दिनांक 15/12/17 को पेश हो। तहसीलदार तहसील-महवा (दौसा)	
15/12/17	पत्रावली पेश हुई आवाज लगवाई गई अतिक्रमी अनुपस्थित रहें अतिक्रमी को पुनः नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 22/12/17 को पेश हो। तहसीलदार तहसील-महवा (दौसा)	
22/12/17	पत्रावली पेश हुई आवाज लगवाई गई अतिक्रमी को ओर से भीम सिंह उपस्थित आया है अतिक्रमी स्वयं उपस्थित होने हेतु अतिक्रमी को पुनः नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 15/01/2018 को पेश हो। तहसीलदार तहसील-महवा (दौसा)	भीम सिंह (भारि)
15/01/18	पत्रावली पेश हुई अतिक्रमी को ओर से भीम सिंह (भारि) उपस्थित आया है अतिक्रमी द्वारा जवाब पेश करने हेतु समर्थ चाध गया है न्यायाधीश से समर्थ दिथा जाकर पत्रावली दिनांक 25/1/18 को पेश हो। तहसीलदार तहसील-महवा (दौसा)	भीम सिंह (भारि)


25/01/18 फ्रावली पेश हुई आवाज लगवाई गई।  
अतिक्रमी उपस्थित वर है। न्यायिक  
में अतिक्रमी को पुनः नीतिव्य जरी कर  
फ्रावली दिनांक 12/2/18 को पेश है।

11/2/18 आज फ्रावली पेश हुई अतिक्रमी  
उपस्थित आया है। अतिक्रमी वर  
को अतिक्रमी को न्यायिक पेश  
वही दिनांक 11/2/18 को पेश कर  
दिया है। 15/2/18 को पेश है।

15/2/18 आज फ्रावली पेश हुई आवाज लगवाई  
गई अतिक्रमी श्री वलराम उपस्थित आये  
है। अतिक्रमी द्वारा अवाक पेश करने हेतु  
समर्थ चाहता है न्यायिक में अतिक्रमी  
अवसर दिया जाकर फ्रावली दिनांक  
22/2/18 को पेश है।

22/2/18 फ्रावली पेश हुई आवाज लगवाई गई।  
अतिक्रमी उपस्थित आया है। अतिक्रमी  
द्वारा शपथपत्र प्रथम पत्र पेश कर विवेक  
ग्रह किया है कि प्रथम अतिक्रमी उक्त अतिक्रमी  
को अतिक्रमी द्वारा लिया जाएगा। अतः ग्राम  
पाली को अतिक्रमी श्रम से अतिक्रमी को  
श्रमिक रूप से वेदव्य किमा जाता है किस्त  
निमित्त प्रथम से लिखा जाकर अलग फ्रावली है।

  
L. thumb निवा  
वलराम

वलराम  
  
निवाजी व दस्ताखर

निवाजी

तहसीलदार  
तहसील-महवा (बीसा)

न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मु.न. 19117

सरकार

बनाम श्री

वलराम पुत्र मंगूराम

जाति मीना निवासी पाली

तहसील महवा

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट

दिनांक 22/2/18

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण वृत्तान्त अनुसार पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 LR Act पेश की गई कि अतिक्रमी श्री वलराम पुत्र श्री मंगूराम जाति मीना निवासी पाली तहसील महवा ने संवत् 2074 फसल रवि / खरीफ में ग्राम पाली की राजकीय आराजी खसरा नं. 187 रकबा 0.01 किस्म चरागाह भूमि से 0.01 रकबा पर अनाधिकृत रूप

से प्रस्ताभान कब्जा कर अतिचार कर लिया है।

रिपोर्ट प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को राज. भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्रति बाद तामिल शामिल पत्रावली है।

अतिक्रमी हाजिर हुआ। अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया। अतिक्रमी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर कब्जा हटाने हेतु लिखकर दिया एवं कब्जा छोड़ना चाहता है अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित है जो राज. भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दण्डनीय है।

अतः अतिक्रमी को न्यायालय रूप से अतिक्रमण करने पर अतिचारित रूप से बेदखल किया जाना है व भूमि के प्रस्ताभान 2 गह पाटौर वार्षिक लगान रुपये 0.095 का 50 गुना 5 रु. राशि की शास्ति आरोपित कर दण्डित किया जाता है।

पटवारी व टी.आर.ए.को मांग कायमी एवं वसूली हेतु पटवारी हल्का व भू.अभिलेख निरीक्षक को बेदखली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल व तकमील लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8  
तहसीलदार  
तहसील-महवा (दौसा)

रजिस्टर ग/घ के पेज नं. 17 पर  
वर्ष 2017-18 में 20/2/18 तारीख  
की राशि तादाती रुपये 5 रु.  
की जमा कायमी की राशि  
दिनांक 20/2/18 तहसील-महवा